<u>न्यायालयः सेशन न्यायाधीश,झुंझुनूं (राजस्थान)</u>

लिंक पीठासीन अधिकारीः– **आशीष कुमार कुमावत**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी विविध(जमानत)प्रकरण संख्या–133/2026(CIS NO.152/2026)

आशीष कुमार पुत्र सांवरमल निवासी चिमनाराम की ढाणी भोड़की पुलिस थाना–गुढ़ा गौड़जी जिला–झुंझुनूं(राज०) **.....प्रार्थी/अभियुक्त**

ब ना म

राज० राज्य जरिए लोक अभियोजक **.....विपक्षी**

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–483 भा० ना० सु० सं०
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–11/26 पुलिस थाना–गुढ़ागौड़जी
अपराध धारा–318(2), 316(2)भारतीय न्याय संहिता

उपस्थिति
1. श्री दीपेन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से
2. श्री रामावतार ढाका, विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से
3. श्री ओमप्रकाश सैनी, विद्वान अधिवक्ता, परिवादी की ओर से

<u>आ दे श</u> दिनांकः18.03.2026

1. यह जमानत आवेदन उपरोक्त प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट,उदयपुरवाटी द्वारा दिनांक 09.03.2026 को धारा–480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन जमानत आवेदन खारिज किए जाने से व्यथित होकर पेश किया गया। नकल लोक अभियोजक को दिलवाई गई एवं केस डायरी तलब की गई।

2. नव पदस्थापित श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झुंझुनूं के कार्यभार ग्रहण नहीं किये जाने के कारण यह जमानत आवेदन सुनवाई हेतु मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ।

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 04.06.2023 को परिवादी छाजूराम सैनी द्वारा न्यायालय के समक्ष एक परिवादी इस आशय का पेश किया कि उसके पुत्र का नाम विवेक राजोरिया है जो सन 2023 में श्रद्धानाथ कॉलेज गुढ़ागौड़जी में पढ़ाई करता था। अप्रार्थी ने परिवादी के पुत्र से अच्छी जान पहचान कर ली और उसे विश्वास में लेकर कहा कि वह उन्हें भारतीय वायुसेना में नौकरी लगवा देगा इसके लिए आपको चार लाख रूपये देने होंगे तथा उक्त राशि आप किश्तों में दे देना जिस पर परिवादी के पुत्र ने विश्वास करके अपनी

शैक्षणिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां अप्रार्थी को दे दी और अप्रार्थी के चंगुल में फंस गया। उक्त सभी बातें परिवादी के पुत्र ने परिवादी को बताई और अप्रार्थी परिवादी के घर दिनांक 28.03.2023 को आ गया और कहा कि मेरी ऊपर तक पहुंच है आपके पुत्र को लिखित परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। अप्रार्थी जब दीपपुरा आया तो एक लेटर दिखाते हुये परिवादी से कहा कि तुम्हारे पुत्र का भारतीय वायुसेना में मैरिट में चयन हो गया है इसलिए आपको दो दिन में 1,33,000/–रूपये देने होंगे तथा मैरिट लिस्ट में प्रिंटेड लेटर की प्रति प्रार्थी परिवादी को दी परिवादी ने उक्त बात व लेटर पर विश्वास करके 31.03.2023 को सैन्ट्रल बैंक शाखा चंवरा में अपने खाते से अप्रार्थी आशीष कुमार के बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से एक लाख तैंतीस हजार रूपये स्थानांतरित कर दिये। परिवादी के घर जून 2023 में पुनः अप्रार्थी आया और विवेक राजोरिया का भारतीय वायुसेना में फाईनल चयन होने का लेटर दिखाते हुये कहा कि अब केवल नियुक्ति ही बाकी है। ज्वाईनिंग पत्र डाक से आयेगा?। आप मुझे बकाया रूपये दे देंवे। इस पर प्रार्थी ने दिनांक 26.06.23 को 1,33,000/–रूपये, दिनांक 30.06.2023 को राशि 1,33,000/–रूपये बैंक के माध्यम से अप्रार्थी के खाते में हस्तांतरित करा दिये। इस प्रकार परिवादी ने अप्रार्थी के खाते में 3,99,000/–रूपये हस्तांतरित करा दिये। जब परिवादी के पुत्र का कोई ज्वाईनिंग पत्र नहीं आया तो अप्रार्थी से मिला तो कहता रहा कि जल्दी ही ज्वाईनिंग पत्र आ जायेगा आप डाक का ध्यान रखना। परिवादी नरेन्द्र कुमार व अरविंद कुमार को लेकर अप्रार्थी के घर गया तो अप्रार्थी के पिता व चाचा कहने लगे कि हम तुम्हारे रूपये वापस करा देंगे तुम मुकदमा मत करना परिवादी ने विश्वास के मुकदमा नहीं किया। दिनांक 12.11.2025 तक अप्रार्थी ने ना तो परिवादी के रूपये लौटाये ना ही उसके पुत्र को नौकरी लगवाई। परिवादी के साथ छल कपट कर धोखाधड़ी से तीन लाख निनावे हजार रूपये हड़प लिये.....इत्यादि। इस पर पुलिस थाना गुढ़ागौड़जी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–11/26 अंतर्गत धारा–318(4), 316(2) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य अभियुक्त के विरूद्ध धारा-318(4), 316(2) भारतीय न्याय संहिता के अधीन अपराध बनना पाए जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 07.03.2026 को गिरफ्तार किया गया जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।

4. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत केस डायरी के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त एक अन्य आपराधिक प्रकरण संस्थित होना बताया गया है।

5. बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों अनुरूप बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी

को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी से उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की पूछताछ व बरामदगी करना शेष नहीं है। प्रार्थी दिनांक 07.03.2026 से पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है, प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणी मामला है तथा आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड की सजा का प्रावधान नहीं है। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जावे।

6. इसके विपरीत लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता परिवादी का कथन रहा है कि मुलजिम के विरूद्ध धारा 318(4), 316(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत गंभीर प्रकृित के अपराधों का आरोप है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

7. उक्त तर्कों पर मनन किया गया तथा केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत मामले में परिवादी छाजूराम द्वारा प्रस्तुत परिवादी पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट व अब तक हुए अनुसंधान के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा–318(4), 316(2) भारतीय न्याय संहिता के अपराध का आरोप है। यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त एक अन्य प्रकरण संस्थित हुआ है, किंतु हस्तगत प्रकरण में महत्वपूर्ण अनुसंधान हो चुका है। अभियुक्त दिनांक 07.03.2026 से अभिरक्षा में हैं, शेष अनुसंधान व अन्वीक्षा सम्पन्न होने में समय लगना संभाव्य है। आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के समग्र तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित है।

8. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **आशीष कुमार** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–439 दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी के संतुष्टिप्रद पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये की दो मौतबिर जमानतें और पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत कर तस्दीक करवाने पर उसे उक्त प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(आशीष कुमार कुमावत)
"लिंक अधिकारी"
सेशन न्यायाधीश, झुंझुनूं

9. आदेश आज दिनांक 18.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

SUBHASH CHANDRA SONI
Digitally signed by SUBHASH CHANDRA SONI
Date: 2026.03.23 14:59:16 +0530

(आशीष कुमार कुमावत)
"लिंक अधिकारी"
सेशन न्यायाधीश, झुंझुनूं